नागरिक नामा

fookg i/ek.k i=

fookg izek.k i=

;g D;k t:jh g\

लोग पहले इसे गैरजरूरी समझते थे पर आज निम्न कारणों से यह बहुत जरूरी एवं उपयोगी दस्तावेज है।

यदि पति काम करने के लिए विदेश (सऊदी, दुबई, कनाडा इत्यादि) जाते हैं तो पत्नि को वहाँ जानें का वीसा मिल जाता है। (विदेशी दूतावास सिर्फ विवाह–सर्टीफिकेट को वीसा जारी करने का दस्तावेज मानते हैं)

यह विवाहित महिला को सुरक्षा देता है। यदि पति तलाक देता है तो पत्नि कोर्ट से मुआवजा पाने का हक पा सकती है। बिना इस सर्टीफिकेट के कोर्ट मुआवजे का दावा खारिज कर सकता है।

यदि पति अथवा पत्नि में से कोई एक मृतक हो जाता है तो उत्तराधिकार और जायदात का तबादला करने में सहूलियत होती है। (कोर्ट जल्द फैसला ले पाते हैं)

efjt lVhfQdV nk rjg d gkr g

विशेष मैरिज कानून के तहत होने वाले मुस्लिम एवं क्रिसचियन समुदाय और अन्य समुदाय के नागरिकों के विवाह

हिन्दू मैरिज कानून के तहत होने वाले हिन्दू, सिख, जैन और बुद्ध समुदाय के नागरिकों के विवाह।

यदि एक मुस्लिम या क्रिसिचियन एक हिन्दू अथवा सिख से विवाह करता है तो मैरिज सर्टीफिकेट विशेष कानून के तहत जारी किया जायेगा।

(विवाह के समय पति 21 साल से और पत्नि 18 साल से कम उम्र के नहीं होने चाहिए)

vkonu dl dj\

मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए पति पत्नि दोनों को एस.डी.एम के आफिस जाना होगा–

एस.डी.एम (डिफेंस कॉलोनी)
बी.डी.ओ ऑफिस, अनुपम अपार्टमेंट के पास
एम.बी रोड, साकेत नई दिल्ली–110017
टेलीफोन : 011–28536773, 011–26568772

efj t lfVfQ cuku d fy, nLrko t

1 आवेदन फार्म जो एस.डी.एम आफिस में मिलेगा।
2 उम्र का सबूत
3 पते का सबूत पति अथवा पत्नि में से कोई एक एस.डी.एम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। निजामुद्दीन क्षेत्र एस.डी.एम (डिफेंस कालोनी) के तहत आता है।
4 पति और पत्नि के दो–दो पासपोर्ट साइज के फोटो तथा एक फोटो दोनों का साथ–साथ।
5 शादी समारोह का निमंत्रण कार्ड
6 विवाह करवाये जाने का मजहबी–सर्टीफिकेट (यदि हो)
7 दो शपथ पत्र एक पति एवं दूसरा पत्नि का जिसमें जन्म की तारीख होगी तथा वैवाहिक स्थिति जैसे गैरशादीशुदा, विधवा, विधुर या तलाकशुदा लिखना होगा। यह भी प्रमाणित करना होगा कि वह नजदीकी रिश्ते में नहीं है जैसे कानूनी तौर पर महिला अपने पिता के भाई से शादी नहीं कर सकती।
8 तलाक का कानूनी आर्डर (यदि पति अथवा पत्नि तलाकशुदा हो)
9 मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि पति अथवा पत्नि विधवा या विधुर हो)

एस.डी.एम. आफिस में रू150 फीस जमा करनी होगी और इसकी रसीद दस्तावेजों के साथ लगानी जरूरी है।

विशेष मैरिज कानून के तहत सर्टीफिकेट पाने के लिए ऐसा सबूत देना जरूरी है कि पति अथवा पत्नि कम से कम 30 दिनों से दिल्ली में निवास कर रहे हैं। वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि साथ लगायें। यदि ये दस्तावेज न हो तो आप संबंधित पुलिस थाने के इंचार्ज से दिल्ली में रहने के समय का प्रमाण पत्र देने का अनुरोध करें।

सभी दस्तावेज सत्यापित करवाये जाने चाहिए।

एस.डी.एम. आफिस में पंजीकरण के समय 3 गवाहों का मौजूद होना जरूरी है।

मैरिज सर्टीफिकेट 2 प्रतियों में जारी किया जायेगा एक पति के लिए और दूसरा पत्नि के लिए।

;g lVhfQdV fdru fnuk e cu tkrk g\

जोड़े की स्थिति के अनुसार कम या अधिक समय लग सकता है।

केस 1 –– यदि विवाह/निकाह हो चुका है तो 7 वे दिन आवेदन करें। 7 से 10 दिनों के बीच सर्टीफिकेट जारी होगा।

केस 2 कोर्ट–मैरिज के केस में–
यदि कोई धार्मिक समारोह न हुआ हो तो कोर्ट 30 दिन का नोटिस जारी करेगा और एस.डी.एम. आफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाएगा। यदि इस समय में किसी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो एस.डी.एम. आफिस शादी को रजिस्टर कर लेगा।
नोटिस पीरियड 30 दिन। उसके बाद सर्टीफिकेट जारी होने में 7 से 10 दिन लगेंगे।
कुल समय –– लगभग 40 दिन